विषय सूची

1. **प्रस्तावना**
2. **अनुदानों की मांगों का सारांश**
3. **अनुदानों की मांगें**
   - कृषि मंत्रालय
   - कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
   - परमाणु ऊर्जा विभाग
   - रसायन और उर्वरक मंत्रालय
   - नागर विमानन मंत्रालय
   - कोयला मंत्रालय
   - खान मंत्रालय
   - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
   - संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   - उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   - रक्षा मंत्रालय
   - पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग
   - विनिवेश मंत्रालय
   - पर्यावरण और वन मंत्रालय
   - विदेश मंत्रालय
   - वित्त मंत्रालय
   - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
   - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
   - भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय
   - गृह मंत्रालय
   - मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   - सूचना और प्रसारण मंत्रालय
   - श्रम मंत्रालय
   - विधि और न्याय मंत्रालय
   - गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
   - महासागर विकास विभाग
   - संसदीय कार्य मंत्रालय
   - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
   - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
   - योजना मंत्रालय
   - विद्युत मंत्रालय
   - राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय
   - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
   - ग्रामीण विकास मंत्रालय
   - विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   - नौवहन मंत्रालय
   - लघु उद्योग मंत्रालय
   - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   - अन्तरिक्ष विभाग
   - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
   - इस्पात मंत्रालय
   - कपड़ा मंत्रालय
   - पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
   - जनजाति कार्य मंत्रालय
   - (विधानमंडल रहित) संघ राज्य क्षेत्र
   - शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
   - जल संसाधन मंत्रालय
   - युवा कार्य और खेल मंत्रालय
4. **नई सेवा/सेवा के नए साधन दर्शाने वाला विवरण**

CONTENTS

		Page / पृष्ठ
1.	**Introduction**	iii-iv
2.	**Summary of Demands for Grants**	v-xiii
3.	**Demands for Grants**	
	Ministry of Agriculture	1-3
	Ministry of Agro and Rural Industries	4
	Department of Atomic Energy	5-6
	Ministry of Chemicals and Fertilisers	7-8
	Ministry of Civil Aviation	9
	Ministry of Coal	10
	Ministry of Mines	11
	Ministry of Commerce and Industry	12-13
	Ministry of Communications and Information Technology	14-16
	Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution	17-18
	Ministry of Defence	19-26
	Department of Development of North Eastern Region	27
	Ministry of Disinvestment	28
	Ministry of Environment and Forests	29
	Ministry of External Affairs	30
	Ministry of Finance	31-44
	Ministry of Food Processing Industries	45
	Ministry of Health and Family Welfare	46-48
	Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises	49-50
	Ministry of Home Affairs	51-55
	Ministry of Human Resource Development	56-58
	Ministry of Information and Broadcasting	59
	Ministry of Labour	60
	Ministry of Law and Justice	61-63
	Ministry of Non-Conventional Energy Sources	64
	Department of Ocean Development	65
	Ministry of Parliamentary Affairs	66
	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	67
	Ministry of Petroleum and Natural Gas	68
	Ministry of Planning	69
	Ministry of Power	70
	The President, Parliament, Union Public Service Commission and the Secretariat of the Vice-President	71-75
	Ministry of Road Transport and Highways	76
	Ministry of Rural Development	77-79
	Ministry of Science and Technology	80-82
	Ministry of Shipping	83
	Ministry of Small Scale Industries	84
	Ministry of Social Justice and Empowerment	85
	Department of Space	86
	Ministry of Statistics and Programme Implementation	87
	Ministry of Steel	88
	Ministry of Textiles	89
	Ministry of Tourism and Culture	90-91
	Ministry of Tribal Affairs	92
	Union Territories (Without Legislature)	93-116
	Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation	117-120
	Ministry of Water Resources	121
	Ministry of Youth Affairs and Sports	122
4.	**Statement showing details of New Service/New Instrument of Service**	123

प्रस्तावना

संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (2) में यह अपेक्षित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, भारत की समेकित निधि में से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान, जो इस निधि पर भारित नहीं होते, अनुदानों की मांगों के रूप में लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएगें। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में प्रायः एक सेवा के लिए आवश्यक धनराशि की कुल व्यवस्था दिखाई जाती है अर्थात् इसमें राजस्व खाते का व्यय और उस सेवा के लिए, पूंजी खाते का व्यय (ऋण सहित) दिखाए जाते हैं। यद्यपि भारत की समेकित निधि पर 'भारित' व्यय के अनुमानों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता, तथापि संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (1) के अनुसार ऐसे व्यय के बारे में संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में बहस की जा सकती है। इसलिए अनुदान की मांग में अगर किसी ऐसे खर्च की व्यवस्था होती है, जो भारत की समेकित निधि पर भारित होता है तो उसे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। जहां किसी सेवा के लिए यह व्यवस्था भारत की समेकित निधि पर पूरी तरह 'भारित' व्यय के लिए होती है जैसे ब्याज संदाय और ऋृण की वापसी–अदायगी, तो उसे मांग से पृथक विनियोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उस पर कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती।

2. संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 2004-2005 के लिए अनुदानों की जो मांगें और विनियोग प्रस्तुत किए गए हैं वे समस्त मंत्रालयों/विभागों के लिए इसी खंड में प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन इन मांगों से पहले मांगों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2004-2005 के लिए अनुदानों की मांगों और विनियोगों की पूरी सूची एक साथ दी गई है जिसमें राजस्व खाते और (ऋणों सहित) पूंजी खाते के अंतर्गत 'स्वीकृत' और 'भारित' शीर्षों के अधीन प्रत्येक मांग और विनियोग के सामने की गई व्यवस्था की कुल राशि दिखाई गई है। यह सारांश अनुदानों की मांगों और विनियोगों का अभिसूचक प्रलेख भी है।

3. मांगों के संदर्भ में, मंत्रालयों या विभागों के उल्लेख 8 जनवरी, 2004 के तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों से संबंधित हैं, और उस तारीख को या उसके बाद इससे अभिप्राय यह होगा कि यह उल्लेख समय-समय पर पुनर्गठित संबद्ध मंत्रालयों या विभागों के बारे में है। वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के निर्धारित कार्य में अधिसूचित परिवर्तनों को इन मांगों में समाविष्ट कर दिया गया है। 2004-2005 की मांगों को इस समय

INTRODUCTION

Clause (2) of Article 113 of the Constitution requires that so much of the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement as are not 'charged' on the Fund shall be submitted in the form of Demands for Grants for the vote of the Lok Sabha. Normally one Demand is presented in respect of each Ministry/ Department. In respect of some of the large Ministries/ Departments, however, more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a Service, that is to say, expenditure on Revenue Account, as well as expenditure on Capital Account (including Loans) for the Service. Although the estimates of expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India are not required to be voted by Parliament, clause (I) of Article 113 of the Constitution permits discussion thereon in either House of Parliament. Accordingly, a Demand for Grant also shows, distinctly in italics, the provision for expenditure, if any, 'charged' on the Consolidated Fund of India in relation to the Service represented by the Demand. Where the provision for a Service is entirely for expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments and Repayment of Debt, a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented, although no vote is sought thereon.

2. The Demands for Grants and the Appropriations for 2004-2005 presented to Parliament along with the Annual Financial Statement are contained in this volume in respect of all the Ministries/ Departments. A Summary of the Demands giving at one place a complete list of the Demands for Grants and Appropriations for 2004-2005, showing against each the total amount of the provision, separately under Revenue Account and Capital Account (including Loans) as well as "Voted" and "Charged" , precedes the Demands. This Summary also serves as an Index to the Demands for Grants and Appropriations.

3. References to Ministries or Departments in the Demands are to such Ministries or Departments as existed immediately before January 8, 2004 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries/ Departments as reconstituted from time to time. Changes in Allocation of Business to the various Ministries/Departments notified during the year have been given effect to in these

गठित मंत्रालयों/विभागों के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है और आंकड़ों की तुलना के कार्य को सरल बनाने के लिए 2003-2004 के तदनुरूप बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान भी साथ-साथ प्रस्तुत कर दिए गए हैं, हालांकि 2003-2004 की अनुदानों की मांगों में, जिनको फरवरी, 2003 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, इन व्यवस्थाओं को उस समय विद्यमान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत दिखाया गया था।

Demands. The Demands for 2004-2005 have been shown against the Ministries/Departments as presently constituted and to facilitate comparison, figures of the corresponding Budget Estimates and Revised Estimates for 2003-2004 have been exhibited along side even though in the Demands for Grants, 2003-2004 presented to Parliament in February, 2003 the provisions were shown under Demands of Ministries/ Departments as they existed at that time.

4. मांगों में सम्मिलित नई सेवा/सेवा के नए साधनों का मदवार विवरण अंत में दिया गया है।

4. A statement showing items of New Service/New Instrument of Service included in the Demands is given at the end.

5. इन मांगों पर टिप्पणियों सहित व्यय को मुख्य मदों/ योजनाओं का ब्यौरा "व्यय बजट" खण्ड 2 नामक एक अलग खंड में दिया गया है।

5. Details of major items of expenditure/schemes along with the Notes on these Demands are given in a separate volume "Expenditure Budget" Volume 2.